न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई जिला टोंक
(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वाद पत्र सं0––424/2023

प्रविष्टि दिनांक –27.01.2023

उनवान

राजाराम पुत्र रूपनारायण मीणा जाति मीणा निवासी ग्राम बरथल पोस्ट पहाड़ी तहसील निवाई जिला टोंक राजस्थान

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार निवाई जिला टोंक

अप्रार्थी

उपस्थित–1. श्री रामावतार शर्मा–वकील प्रार्थी
पैरोकार सरकार–वकील अप्रार्थी

निर्णय
प्रार्थनापत्र बाबत दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक– 03/03/25

संक्षेप में आशय इस प्रकार है कि प्रार्थी द्वारा उक्त आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया गया की प्रार्थी की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खसरा नं. 794/1 रकबा 1 बीघा 6 बिस्वा एवं खं.नं. 794/2 रकबा 8 बिस्वा ग्राम बरथल पटवार हल्का पहाड़ी तह० निवाई में स्थित है जिसमें प्रार्थी का 1/3 हक व हिस्सा निहित है जिस पर वह काबिज काश्त करता चला आ रहा है जिसे प्रार्थी ने पूर्व खातेदार रामकिशोर, राजाराम पि० औंकार, रूकमा, कैलाशी पुत्रियां औंकार, छोटूलाल, पूरण पि० जगदीश, नानगी, सुगना पुत्रियां जगदीश जाति मीणा निवासी बरथल से जरिये विक्रय–पत्र दिनांक 3–5–2016 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। नामान्तकरण सं. 998 एवं 973 खोला गया था किन्तु खं.नं. 794/2 रकबा 8 बिस्वा अर्थात 0.1012 हेक्टयर आगामी जमाबन्दी में प्रार्थी के नाम दर्ज नहीं कर पूर्व खातेदार के नाम गलत एवं त्रुटिवश अंकित कर दिया जिसे सही व दुरूस्त किया जाकर प्रार्थी के नाम खोला गया कय शुदा भूमि के नामान्तकरण के अनुसार प्रार्थी के नाम दर्ज कर रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। प्रार्थी ने अपने समर्थन में नकल जमाबन्दी विक्रय–पत्र एवं नामान्तकरण संख्या 998 एवं 973 प्रस्तुत किया।

इसके पश्चात वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी संवत 2071–74 , नक्शा ट्रेस , खसरा गिरदावरी, नकल नामान्तकरण सं0 998, नकल फोटोप्रति नामान्करण सं0 973, फोटो प्रति विकय पत्र आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

पैरोकार सरकार की ओर से स्वीकारोक्ति जवाब प्रस्तुत किया, जिसमे अंकितानुसार जिसमें खसरा नं. 794/1 सही दर्ज होना तथा खसरा नं. 794/2 रकबा 0.1012 हेक्टयर समस्त खातेदारान का हिस्सा गलत होना बताकर उक्त अशुद्धि नामान्तकरण सं. 998 एवं 1097 के तहत होना बताया जाकर खसरा नं. 794/1 एवं 794/2 में वादी का हिस्सा 1/3 किया 'जाना उचित बताते हुये प्रार्थी के हक में नामान्तकरण सं. 998 दिनांक 16–6–2016 के तहत स्वीकृत होना तथा नवीन प्रविष्टि खसरा नं. 794/2 राजाराम पुत्र रूपनारायण हिस्सा 1/3 हरिराम शिवराज, मुरारी पिता रामकरण, राजन्ती पुत्री रामस्वरूप, धन्नी पत्नी रामस्वरूप हिस्सा 1/14 पारा पुत्री औंकार हिस्सा 1/14, श्रवण पुत्र जगदीश

उपखण्ड अधिकारी
निवाई (टोंक)

Scanned with CamScanner

(माता सोनी) ललिता पुत्री जगदीश (माता सोनी) हिस्सा 1/42 फूलचन्द पुत्र रामसहाय हिस्सा 1/3 छोटी पुत्री जुवारा हिस्सा 1/6 कौम मीणा के नाम से शुद्धि किया जाना उचित माना है।

उभय पक्षकारान की बहस सूनी गई पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात रिपोर्ट तहसीलदार तथ्यों एवं कानूनी बिन्दू पर मनन किया गया।

हमने वाद पत्र पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं प्रकरण मे प्रस्तुत साक्ष्यो का अवलोकन किया। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा पूर्व खातेदार रामकिशोर राजाराम पि. ओंकार, रूकमा, कैलाशी पुत्रिया औंकार, छोटूलाल, पूरण पि० जगदीश, नानगी, सुगना पुत्रिया जगदीश जाति मीणा निवासी ग्राम बरथल तह० निवाई से जरिये रजिस्टर्ड विकय–पत्र दिनांक 3–5–2016 को खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था जिसका नामान्तकरण सं. 908 दिनांक 16–6–2016 के तहत खसरा नं. 794/2 में 1/3 हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज कर स्वीकार किया जा चुका था जिसके मुताबिक ही राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में भूमि खातेदारान के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी। किन्तु सहवनवश उक्त भूमि पूर्व खातेदारान के नाम ही दर्ज इन्द्राज चली आ रही है जो कि गलत है जिसके सम्बन्ध में पेरोकार सरकार के जवाब से पूर्णतया साबित एवं प्रमाणित है। उक्त तथ्यों से प्रार्थी का आवेदन पूर्णतया साबित एवं प्रमाणित है। इस प्रकार उक्त त्रुटि राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत सही किये जाने योग्य है तथा जिसके अनुसार उक्त त्रुटिपूर्ण अंकन को दुरूस्त कराने के प्रार्थी अधिकारी है। पत्रावली पर उपलब्ध सभी साक्ष्य उक्त त्रुटि को साबित करते है। अतः दस्तावेजो के आलोक मे प्रार्थनापत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाना उचित है।

आदेश

फलतः प्रार्थी का वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 136 के तहत स्वीकार किया जाकर, तहसीलदार **निवाई** को निर्देशित किया जाता है भूमि खसरा नं. 794/2 रकबा 0.1012 हेक्टयर ग्राम बरथल की जमाबन्दी में 1/3 हक व हिस्सा प्रार्थी के नाम दर्ज इन्द्राज किया जाकर विकेतागण रामकिशोर, राजाराम पि० औंकार, रूकमा, कैलाशी पुत्रियां औंकार, छोटूलाल, पूरण पिता जगदीश, नानगी, सुगना पुत्रियां जगदीश का नाम हटाया जाकर रिकार्ड जमाबन्दी को शुद्ध कर, शेष अंकन यथावत रखते हुए, उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जाकर, पालना से अवगत करावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।
यह आदेश आज दिनांक 3/3/25 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी निवाई

Scanned with CamScanner